



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012022-232372  
CG-DL-E-03012022-232372

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09]  
No. 09]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 3, 2022/पौष 13, 1943  
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 3, 2022/PAUSHA 13, 1943

विद्युत मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2022

का.आ. 09 (अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

(i) मद 7, के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

"7. चीनी - ऐसे चीनी संयंत्रों या स्थापनाओं की इकाइयां जो चीनी और उसके प्रकारों जैसे सफेद चीनी, भूरी चीनी और तरल चीनी का उत्पादन करती हैं,";

(ii) मद 9, के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

"9. रासायनिक - ऐसे रासायनिक संयंत्रों या स्थापनाओं की इकाइयाँ जो निम्नलिखित उप-श्रेणियों के साथ रासायनों का उत्पादन करती हैं:

(i) क्षार रसायन (सोडा ऐश, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड);

(ii) अकार्बनिक रसायन;

- (iii) कार्बनिक रसायन;
- (iv) कीटनाशक (तकनीकी);
- (v) डाई और पिगमेंट; और
- (vi) फार्मास्यूटिकल्स [सक्रिय फार्मास्यूटिकल संघटक (एपीआई)]।”;

(iii) मद 15, के बाद निम्नलिखित मदें अन्तः स्थापित की जाएगीं, अर्थात् :-

"16. **मृत्तिका-शिल्प (सिरेमिक)** - ऐसे मृत्तिका-शिल्प संयंत्र या स्थापनाओं की इकाइयाँ जो सभी प्रकार की विट्रिफाइड टाइलें, फ्लोर टाइल, वॉल टाइल्स और सेनेटरी वेयर आदि का उत्पादन करती हैं जिसमें सभी प्रकार के जैसे कि स्टोनवेयर, पोर्सिलेन और फायर ब्रिक्स शामिल हैं। ”

"17. **काँच** - ऐसे काँच संयंत्र या स्थापनाओं की इकाइयाँ जो काँच और इसके तैयार उत्पादों का उत्पादन करती हैं। ”

"18. **जस्ता** - ऐसे जस्ता संयंत्रों या स्थापनाओं की इकाइयाँ जो जस्ता और इसके तैयार उत्पादों का उत्पादन करती हैं। ”

"19. **तांबा** - ऐसे तांबा संयंत्र या स्थापनाओं की इकाइयाँ जो तांबा और इसके तैयार उत्पादों का उत्पादन करती हैं। ”

"20. **अन्वेषण सहित खदानें** - ऐसी खदानों की इकाइयाँ जो खनिजों के लिए सतह, भूमिगत या अन्य श्रेणी के खनन के साथ-साथ तेल और प्राकृतिक गैस की खोज में शामिल हैं।”

[फा. सं. 10/6/2021-ईसी]

विवेक कुमार देवांगन, अपर सचिव

## MINISTRY OF POWER

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2022

**S.O. 09 (E).**—In exercise of the powers conferred by clause (f) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments to the Schedule to the said Act, namely:—

(i) for item 7, the following item shall be substituted, namely:-

“7. Sugar – Units of sugar plants or establishment those are under production of sugar and its variants such as white sugar, brown sugar and liquid sugar;”;

(ii) for item 9, the following item shall be substituted, namely:-

“9. Chemical – Units of such chemical plants or establishments those are under production of chemicals with following sub-categories:

- (i) Alkali Chemical (Soda Ash, Potassium Hydroxide);
- (ii) Inorganic Chemicals;
- (iii) Organic Chemicals;
- (iv) Pesticides (Technical);
- (v) Dyes and Pigments; and
- (vi) Pharmaceuticals [Active Pharmaceutical Ingredient (API)].”;

(iii) after item 15, the following items shall be inserted, namely:-

“16. Ceramic - Units of such ceramic plants or establishments those are under production of vitrified tiles, floor tile, wall tiles and sanitary ware etc. including all variants such as stoneware, porcelain and fire bricks.”

“17. Glass - Units of such glass plants or establishments those are under production of glass and it's finished products.”

“18. Zinc - Units of such zinc plants or establishments those are under production of zinc and it's finished products.”

“19. Copper - Units of such copper plants or establishments those are under production of copper and it's finished products.”

“20. Mines including exploration - Units of such mines those are involved in surface, underground or other category of mining of minerals as well as exploration of oil and natural gas.”

[F. No. 10/6/2021-EC]

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Addl. Secy.